न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कुचामनसिटी जिला नागौर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– श्री बाबुलाल जाट (RAS)
राजस्व वाद संख्या 55/2019 **RCMS 2019/00101**

वादीगण

1. राधाकिशन पुत्र मांगु
2. नन्दाराम
3. बिरदाराम
4. मदनलाल पि. भवरूराम
5. दानाराम पुत्र सुगना
6. किशोर पुत्र सुगना
7. सन्तोष देवी पुत्री सुगना नाबालिक जरिये कुदरती वली माता हीरकी पत्नी सुगना गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
8. हीरकी पत्नी सुगना उक्त सभी जाति गुर्जर निवासीगण पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सरोज दवे पत्नी दिनेश कुमार दवे जाति ब्राहम्ण निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी जिला नागौर राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
श्री श्याम सुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनॉक :– 17.02.2020

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर किस्म बारानी प्रथम में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 संयुक्त खातेदार दर्ज चले आ रहे है, वादीगण उक्त आराजी में चौमासे की फसल पशुपालन एवं कुदरती पैदावार खेजड़ी आदि का उपयोग उपभोग कदीम से करते आ रहे है, उक्त सम्पूर्ण आराजी वादीगण की पुश्तैनी खातेदारी अधिकारो की है उक्त आराजी के पूर्ववर्ती सह खातेदार नाथा जीवण वादीगण के खानदान से संबंध थे, उन्होने अपने खातेदारी अधिकार जरिये विक्रय विलेख अजनबी व्यक्ति प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में हस्तानान्तरित कर दिये इसकी जानकारी वादीगण को अभी कुछ दिन पूर्व जमाबंदी की नकल प्राप्त [illegible] अधिकार अभिलेख जमाबंदी में वादी दानाराम का 2/27, नन्दाराम का 1/[illegible] का1/12, मदनलाल का 1/12, राधाकिशन का 1/4, हीरकी का [illegible] 1/36, किशोर का 2/27 एवं प्रतिवादी सं. 1 का 1/4 हि[illegible] नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर कृषि भूमि के उत्तर में खसरा नम्बर 53 एवं 71 है,दक्षिण [illegible]सरा नम्बर 80 पूरब में खसरा नम्बर 72 एवं पश्चिम में खसरा नम्बर 69 की भूमि के मध्य मे आई हुई है जिस पर खातेदार वादीगण एवं प्रतिवादी दर्ज अनुसार मौके पर काबिज है और अपनी सुविधा अनुसार काश्त करते है, वाद विषयक कृषि आराजी में वादीगण अपनी पुश्तैनी खातेदारी हक अधिकार के अधीन कृषि भूमि में मानसून की बरसात में कृषि कार्य हेतु गये तब प्रतिवादी सं. 1 का सीरी नाथा व जीवण खेत में आगे की तरफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

बा–लगा जोत दिया और वादीगण के आड़े फिर गया और खेत में बा–जोत के लिए ट्रेक्टर चालक का मार्ग अवरूद्ध कर आगे जाने नही दिया इस कारण वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के सीरी से लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई और एक ही खानदान के सदस्यों के बीच आपस में विवाद के कारण अनिष्ठ से बचने के लिए वादीगण को अपने पड़ौसी जैसाराम के खेत में अड़ाव छोड़े गये हिस्से से होकर खातेदारी अधिकार की कृषि आराजी में आने जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, वादीगण अपना हिस्सा प्रतिवादी 1 जो सह खातेदार अभिधारी है से अलग करवाना चाहते है क्योंकि उक्त आराजी संयुक्त होने से कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 अजनबी से आये दिन झगड़ा फसाद होने की आशंका है और वादीगण को अपने अपने हिस्से से रकबा को सुधारने बैंक से ऋण आदि क्रेडिट कार्ड बनाने, सुधार विकास कार्य करवाने में भी वादीगण के समक्ष बहुत कठिनाईया आती है इसलिए मौके पर कब्जा काश्त अनुसार मार्गाधिकार सहित अपनी खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि का पृथक खाता एवं लगान आदि विभाजन हेतु दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ, प्रतिवादी सं. 1 अपने सीरीयो के माध्यम से बार बार वादीगण के कब्जा काश्त में मजाहत एवं दखल करने पर उतारू रहती है उनसे अलग खाता विभाजन करवाकर उसी अनुसार लगान नक्शा में तरमीम करवा कर वादीगण अपने अलग नाम से अलग रकब मालकाना कायम करवाना चाहते है जो मार्गाधिकार सहित वाद खाता विभाजन डिक्री और चिर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है, प्रतिवादी ने खाता विभाजन हेतु साफ इन्कार कर दिया। वादीगण की इस्तदुआ है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर में वादीगण अपने अपने हिस्सा कीमत अनुसार कब्जा काश्त तक की भूमि का मार्गाधिकार सहित खाता विभाजन करवाने के हकदार है, उक्त अनुतोष की अनुपालना में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को प्राप्त होने वाले हक हिस्सा कुल दर्ज रकबा 3.85 हैक्टर में से मार्गाधिकार सहित पृथक खाते के रूप में वादीगण के नाम से अधिकार अभिलेख जमाबंदी वगैरह तथा राजस्व नक्शे में दर्ज करने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार कुचामनसिटी को राजस्व रेकार्ड में भू–विभाजन की प्राथमिक डिक्री अनुसार अमल दरामदगी के अन्तिम आदेश व डिक्री सादिर फरमावें, उपरोक्त अनुतोष की अनुपालनार्थ वादीगण के हिस्सा में प्रतिवादी सं. 1 दखल अंदाजी न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट प्रतिनिधि एसाइग्नीज अथवा अन्य माध्यम से ऐसा करावे इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 उपस्थित आये जिन्होने जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में वादीगण के साथ राजीनामा प्रस्तुत किया जिसे तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 2 बावजूद इतला अनुपस्थित रहे जिससे उनके विरूद्व एक–पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

दस्तावेजी साक्ष्य में चालू जमाबन्दी नकल एवं नक्शा ट्रेस की नकल प्रस्तुत की, जो शामिल मिसल उपलब्ध है। राजीनामा दिनॉक 27.01.2020 अनुसार वादग्रस्त भूमि को लेकर पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य आपसी समझ से लोक [illegible] की भावना से राजीनामा कर लिया है राजीनामा अनुसार खसरा नम्बर 70 में मौके पर [illegible] कब्जा अनुसार विभाजन करने के लिए सहमत है वादीगण की कब्जे सुदा भूमि [illegible] नम्बर 53 के दक्षिणी पर लगते हुये खसरा नम्बर 70 के पूर्वी सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता की भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रतिवादी सं. 1 अपने हिस्से में से 3/4 हिस्से अनुपात की भूमि छोड़ने तथा उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते के लिए शेष सहखातेदार वादीगण अपने हिस्से में से केवल 1/4 हिस्से अनुपात की भूमि छोड़ने के लिए सहमत होकर राजीनामा कर लिया है प्रस्तावित रास्ते को नजरी नक्शें में दर्शाया गया है, उपरोक्तानुसार प्रतिवादी सं. 1 अपने सहखातेदारो के हक हिस्से व अधिकार की

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

कृषि भूमि तक पहुंच हेतु खसरा नम्बर 70 के पूर्वी हिस्से की सींव के सहारे–सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता के लिए 3/4 हिस्से की भूमि छोड़कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भू–विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी करवाने के लिए सहमत है, राजीनामा अनुसार पक्षकारो के मध्य वाद डिक्री कर राजस्व रेकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा में राजीनामा अनुसार भू–विभाजन का अंकन कराने के आदेश फरमावें।

उभय पक्षकारान अधिवक्ताओ की बहस सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया, मुताबिक राजीनामा वाद डिक्री किये जाने की इस्तदुआ की गई है, नकल खतौनी सम्वत 2074–2077 अनुसार ग्राम पालड़ी के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर बारानी प्रथम नाबालिग किशोर पुत्र सुगना सरंक्षक ना.बा. माता हीरकी हिस्सा- 2/27 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार,दानाराम पुत्र सुगना हिस्सा- 2/27 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, नन्दाराम पुत्र भंवरूराम हिस्सा- 1/12 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, बिरदाराम पुत्र भंवरूराम हिस्सा- 1/12 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, मदनलाल पुत्र भंवरूराम हिस्सा- 1/12 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, राधाक्शिन पुत्र मांगू हिस्सा- 1/4 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, नाबालिग संतोषदेवी पुत्री सुगना सरंक्षक ना.बा. माता हीरकी हिस्सा- 1/36 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार, सरोज दवे पत्नि दिनेशकुमार दवे हिस्सा- 1/4 जाति- ब्राह्मण सा. कुचामनसिटी खातेदार, हीरकी पत्नि सुगना हिस्सा- 2/27 जाति- गुजर सा. कुचामनसिटी खातेदार दर्ज है। प्रश्नगत प्रकरण में पक्षकारान में मध्य राजीनामा हो चुका है तथा राजीनामा अनुसार डिक्री किये जाने का ही निवेदन किया है, जो स्वीकार काबिल होने से निम्नवत वाद डिक्री किया जाता है।

आदेश

वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषण की जाती है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर में राजीनामा में अंकित नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, रास्ते की भूमि 3/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में से कम की जावे तथा 1/4 हिस्से की भूमि वादीगण के हिस्से में से कम की जावे, राजीनामें में अंकित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो कि उक्त अनुसार पालना सुनिश्चित करे, राजीनामा दिनॉक 24.01.2020 डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।

आदेश आज दिनॉक 17/2/2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बाबुलाल जाट RAS)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री मुकदमा इब्तेदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी मुकाम : कुचामन सिटी

बइजलास : बाबुलाल जाट (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 55/2019 **RCMS 2019/00101**

वादीगण

1. राधाकिशन पुत्र मांगु
2. नन्दाराम
3. बिरदाराम
4. मदनलाल पि. भवरूराम
5. दानाराम पुत्र सुगना
6. किशोर पुत्र सुगना
7. सन्तोष देवी पुत्री सुगना नाबालिक जरिये कुदरती वली माता हीरकी पत्नी सुगना गुर्जर निवासी पालड़ी तहसील कुचामनसिटी
8. हीरकी पत्नी सुगना उक्त सभी जाति गुर्जर निवासीगण पालड़ी तहसील कुचामनसिटी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. सरोज दवे पत्नी दिनेश कुमार दवे जाति ब्राहम्ण निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामनसिटी
   राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामनसिटी

दावा वास्ते घोषणा करने भू–विभाजन एवं रेकर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188, 207 व 209 राजस्थान अभिधारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू वकील श्री मोहम्मद हनीफ अधिवक्ता हाजिरी .... मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है **वाद मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषण की जाती है कि ग्राम पालड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर के खसरा नम्बर 70 रकबा 3.85 हैक्टर में राजीनामा में अंकित नजरी नक्शा अनुसार पक्षकारान वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, रास्ते की भूमि 3/4 हिस्सा प्रतिवादी सं.1 के हिस्से में से कम की जावे तथा 1/4 हिस्से की भूमि वादीगण के हिस्से में से कम की जावे, राजीनामें में अंकित नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करते हुए नक्शे में तरमीम कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो कि उक्त अनुसार पालना सुनिश्चित करे, राजीनामा दिनॉक 24.01.2020 डिक्री का भाग रहेगा। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे।**

निज .... मुबलिग .... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 17 माह 02 .... सन् 2020 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

दस्तख़त..................................

ओहदा..................................(मुहर)

17/2/2020

मुदई	रूपयें	पैसे	मुदायलय	रूपयें	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			[illegible]		
महन्ताना वकिल			खर्चा [illegible]		
खर्चा गवाहन			फिस [illegible]		
फिस कमिश्नर			बबत इजराय हुक्मनामा		
बबत इजराय हुक्मनामा			मुतफ[illegible]		
मीजान			मीजान		

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी

राजस्व मूल वाद संख्या   /2019

वादीगण :—

1. राधाकिशन पुत्र मांगु
2. नन्दाराम
3. बिरदाराम
4. मदनलाल पिसरान भवरूराम
5. दानाराम पुत्र सुगना
6. किशोर पुत्र सुगना,
7. सन्तोष देवी पुत्री सुगना नाबालिग जरिये कुदरती वली माता हीरकी पत्नि सुगना गुर्जर कुचामन सिटी
8. हीरकी पत्नि सुगना उक्त सभी की जाति गुर्जर उम्र व्यस्क निवासीगण कुचामन सिटी तहसील कुचामन जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. सरोज दवे पत्नि दिनेश कुमार दवे जाति ब्राहमण निवासी सुरेन्द्र नगर कुचामन सिटी
2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार कुचामन सिटी

दावा वास्ते घो[illegible] [illegible]कर्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 5[illegible] अभिधारी अधिनियम 1955

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

राजीनामा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सी.पी.सी.

महोदय,

वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से राजीनामा निम्नानुसार पेश है :—

1. कि मौजा ग्राम पालड़ी पटवार हल्का गण्डावरा में नई खतोनी संख्या 151 वर्तमान खसरा नम्बर 70 कुल रकबा 3.3500 हैक्टर किस्म बारानी 1 कर

राजीनामा

यह राजीनामा आज दिनांक 27/01/2021 को वादी [illegible] [illegible] बिरदाराम मदनलाल पि. [illegible] जाति [illegible] तथा वादी के [illegible] जरिये अधिवक्ता श्री मो. हनीफ तथा प्रतिवादी [illegible] पुत्र [illegible] स्वयं प्रार्थना [illegible] द्वारा प्रस्तुत किया। वादी की पहचान श्री मो. हनीफ Adv. द्वारा की गई। प्रतिवादी की पहचान श्री [illegible] Adv. द्वारा की गई। राजीनामा को उभयपक्ष पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। उन्होंने इसे स्वीकार कर अपने हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किये। राजीनामा तस्दीक किया जाता है। शामिल मिसल हो।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

[illegible]

Left मदनलाल

Left बिरदाराम

Left [illegible]

Identified by

सरोज देवी

Identified by

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

आपसी समझ से लोक अदालत की भावना से राजीनामा कर लिया है। उक्त राजीनामा के तहत वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 खसरा नम्बर 70 में मौके पर मौजुद कब्जा अनुसार विभाजन करने के लिए सहमत है, वादीगण की कब्जे सुदा कृषिभूमि तक पहुच हेतु खसरा नम्बर 53 के दक्षिणी पर लगंते हुये खसरा नम्बर 70 के पूर्वी सीव के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता की भूमि उपलब्ध करवाने हेतू प्रतिवादी संख्या 1 अपने हिस्से में से 3/4 हिस्से अनुपात की भूमि छोडने तथा उक्त 20 फीट चोडे रास्ते के लिए शेष सहखातेदार वादीगण अपने हिस्से में से केवल 1/4 हिस्से अनुपात की भूमि छोडने के लिए सहमत होकर यह राजीनामा कर लिया है, प्रस्तावित रास्ता को नीचे नक्शा में दर्शाया गया है।

3. यह है कि उपरोक्तानुसार प्रतिवादी संख्या 1 अपने सहखातेदारो के हक हिस्से व अधिकार की कृषिभूमि तक पहुच हेतु खसरा नम्बर 70 के पूर्वी हिस्से की सीव के सहारे सहारे 20 फीट चौडा रास्ता के लिए 3/4 हिस्से भूमि छोडकर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार भू विभाजन की अन्तिम डिक्री जारी करवाने के लिए सहमत है।

अतः राजीनामा पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामा अनुसार पक्षकारो के मध्य वाद डिक्री फरमाई जाकर राजस्व रेकर्ड जमांबदी एवं नक्शा में राजीनामा अनुसार भू विभाजन का अंकन कराने के आदेश फरमावे।

दिनांक 27/11/2019

सरोज देव

हस्ताक्षर वादीगण

हस्ताक्षर प्रतिवादी सख्या 1

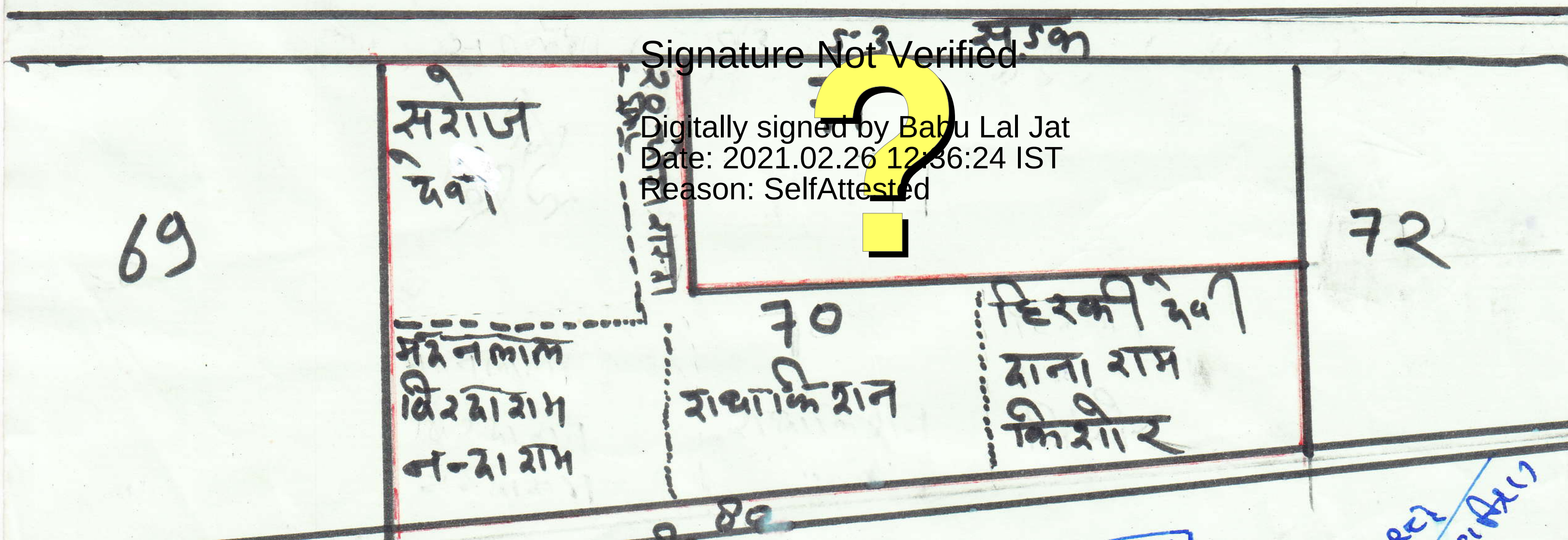

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला (नागौर)

क्रमांक / राजस्व / 2020 / 281 दिनॉकः— 18/02/2020

प्रेषित :— तहसीलदार

कुचामनसिटी

विशय :— राजस्व प्रकरण वाद सं. 55 / 2019 **RCMS 2019/00101** राधाकिशन बनाम सरोज दवे में पारित डिक्री आदेश की पालना बाबत।

उपरोक्त विशयान्तर्गत लेख है कि इस न्यायालय राजस्व प्रकरण वाद सं. 55 / 2019 **RCMS 2019/00101** राधाकिशन बनाम सरोज दवे में पारित डिक्री की प्रति भिजवाई जा रही है, मुताबिक डिक्री राजस्व रेकार्ड एंव नक्शें में तरमीम करते हुए पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करे।

सलंग्नः—उपरोक्तानुसार।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2021.02.26 12:36:24 IST
Reason: SelfAttested

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2020.02.22 15:49:49 IST
Reason: SelfAttested
Location: